न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/09/2023	31–10–2023	12–06–2024

1. सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

2. राधेश्याम, उचित मूल्य दुकानदार पॉस कोड 31063 ग्राम बेरला पंचायत चावण्डीकलॉ तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश राजस्थान खाद्वान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत।

उपस्थितः–

01. विभागीय प्रतिनिधि — जिला रसद अधिकारी
02. श्री सुरेश चन्द यादव — वकील अप्रार्थी

——:: निर्णय ::——

प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा जिला खैरथल–तिजारा की ओर से यह प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (1) आदेश राजस्थान खाद्वान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत। प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 19.12.2021 को शिकायत की जॉच करने हेतु राधेश्याम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम बेरला पंचायत चावण्डीकला तहसील तिजारा की दुकान पर वास्ते जॉच हेतु पहुचा। वक्त जॉच मौके पर राधेश्याम उचित मुल्य दुकानदार उपस्थित मिला शिकायतकर्ता रसीद खा से मोबाईल न0 8696015642 पर सर्म्पक किया गया। जिस पर बताया गया कि मैं अलवर में हुं तथा उपस्थित होने में असमर्थ हूॅ शिकायतकर्ता ने दुरभाष पर बताया कि मेरे द्वारा दिनाक 22.08.2019 को उक्त डीलर के विरूद्व शिकायत की गयी है, साथ ही बताया गया की वर्तमान में डीलर की वितरण व्यवस्था से हम संतुष्ट है। वक्त मौका जॉच गोदाम का भौतिक सत्यापन करने पर पाया कि 249 कटटे प्रति कटटा 50 किलो कुल 12450 किलोग्राम गैहू पाया गया जबकि पॉस मशीन में 11638.40 किलोग्राम गैहू दर्शाया गया, अर्थात 811.6 किलोग्राम गैहू अधिक पाया गया। इसी प्रकार गोदाम का सत्यापन करने पर गौदाम में आंगनबाडी की चना दाल 600 किलोग्राम तथा आंगनबाडी चावल 200 किलोग्राम मौके पर पायी गयी। जिसके सम्बध में उचित मूल्य दुकानदार से जानकारी चॉही गयी तो दुकानदार ने कोई सतुष्टीपूर्ण जवाब व अधिक गैहू, चना दाल व चावल के संम्बध में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है,

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

कि राधेश्याम उचित मुल्य दुकानदार पॉस कोड 31063 ग्राम बेरला पचायत चावण्डीकला 1/2 भाग तहसील तिजारा द्वारा उपभोक्ताओ को उचित मात्रा मे गैहू व आंगनबाडी को चना दाल, चावल नही दिया गया है, जो कि राजस्थान द्याद्वान्न एवं अन्य आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लधंन होने के कारण उपरोक्तानुसार 811.6 किलोग्राम गैहू, आंगनबाडी की चना दाल 600 किलोग्राम, आंगनबाडी चावल 200 किलोग्राम को अभिग्रहित किया गया एव सुरक्षा तथा साक्ष्य की द्रष्टि से पृथक सुपुर्दगीनामा बनाकर श्रीमती बशीरी उचित मूल्य दुकानदान पॉश कोड 24939 ग्राम पंचायत चावण्डीकला 1/2 भाग तहसील तिजारा को सुपुर्दगी में दिया गया। जिसकी फर्द जप्ती एंव सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार उपरोक्तानुसार 811.6 किलोग्राम गैहू, आंगनवाडी की चला दाल 600 किलो, आंगनबाडी चावल 200 किलोग्राम को राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (1) आदेश राजस्थान खाद्वान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (बी) के तहत नोटिस जारी कर उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करने हेतु जारी किया गया गया।

विद्ववान वकील अप्रार्थी द्वारा वक्त बहस प्रकरण जारी नोटिस की पालना में अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है, कि दिनाक 19.12.2020 को अप्रार्थी अपनी दुकान बन्द कर अपने घर आ गया था सायं करीब 6.00 बजे सुर्दशन कुमार के0पी0 प्रवर्तन निरीक्षक ग्राम बेरला तहसील तिजारा में अप्रार्थी की दुकान पर आया वही से अप्रार्थी को दुकान पर आने के लिये फोन किया गया। जिस पर अप्रार्थी अपनी दुकान पर आया। प्रवर्तन निरीक्षक सुदर्शन कुमार के0पी0 ने अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान के स्टॉक बाबत पूछताछ की तो पॉस मशीन के बैलेन्स के आधार पर अप्रार्थी की दुकान में उचित मूल्य का स्टॉक मौजुद था, लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक सुदर्शन कुमार के0पी0 ने अपनी गाडी में बैठे हुये ही अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान में रखे स्टॉक का अपने मनमाने तरीके से रिपोर्ट तैयार कर जिला रसद अधिकारी अलवर को प्रेषित करदी। उसी समय अप्रार्थी ने उक्त प्रवर्तन निरीक्षक से रिपोर्ट बाबत विरोध किया था कि आप स्टॉक की वास्तविक जॉच कर माप तौल करे। एंव गैहू के कटटो की गिनती कर उनका वजन करा लेवें लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक ने अप्रार्थी की एक नही सुनी और अपने पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुये अप्रार्थी के कुछ खाली कागजो पर हस्ताक्षर करा लिये गये। जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक ने फर्जी तरीके से सुपुर्दगी रिपोर्ट तैयार कर फर्द जप्ती एंव रार्शन डीलर बशीरी को सुपुर्द करा दिया। जबकि तथाकथित फर्द जप्ती एवं सुदुर्दगी पर रार्शन डीलर बशीरी के न तो कोई हस्ताक्षर है, और न ही माल सुपुर्द किया गया है। बल्कि इमरान को स्टॉक सुपुर्द करना दिखाया गया है, जो कि रार्शन डीलर नही है। इससे भी प्रवर्तन निरीक्षक सुर्दशन कुमार के0पी0 की बदयान्ती जाहिर हो रही है। जब प्रवर्तन निरीक्षक सुदर्शन कुमार

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा

के0पी0 अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर आया उस समय अप्रार्थी की दुकान में पॉस मशीन के स्टॉक अनुसार 11638.40 किलोग्राम गैहू था, जबकि प्रवर्तन निरीक्षक ने फर्द जप्ती की कार्यवाही में 811.6 किलोग्राम गैहू अधिक मौजुद होना बताया है, फर्द जप्ती के अनुसार गैहू 12449 किलोग्राम स्टॉक बताया है। जबकि प्रवर्तन निरीक्षक के पास ऐंसे कोई संसाधन उपलब्ध नही थे, जो स्टॉक में रखे हुये गैहू की सही माप तोल की जा सके। जिससे भी प्रवर्तन निरीक्षक की बदयान्ती जाहिर होती है, जबकि अन्य स्टॉक जिससे चीनी, दाल, चावल सहित सही बताया है। जबकि संम्पूर्ण स्टॉक अप्रार्थी की दुकान में पॉस मशीन के अनुसार मौके पर मौजुद था। दिनाक 19.12.2020 को फर्द मौका पर्चा प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा बनाया गया है, जिससे अपनी मनमर्जी से कांट–छांट की गयी है, एंव मनमाने तरीके से 811.6 किलोग्राम गैहू अधिक दिखाया गया है। उक्त कार्यवाही में मौके पर मौजुद ग्रामीण लोग जिनमे दुलीचन्द, मंगलराम, धनसिंह, खलील, राजू वगै0 ने भी अप्रार्थी द्वारा रार्शन सामग्री वितरण में कोई अनियमितता होना जाहिर नही किया गया है, एवं समय–समय पर रार्शन सामग्री प्राप्त होना बताया गया है। अप्रार्थी द्वारा समय–समय पर आंगनबाडी को नियत मा्त्रा में उचित मूल्य की सामग्री उपलब्ध करायी गयी है, जिसके बाबत आदिनाक तक कोई शिकायत अप्रार्थी के विरूद्व आंगनबाडी कार्यकर्ता के द्वारा नही की गयी है। और न ही शिकायतकर्ता रसीद के बयान लिये एंव शिकायतकर्ता द्वारा फोन पर संतोषजनक कार्य अप्रार्थी के द्वारा करना बताया एवं वर्तमान वितरण व्यवस्था से संतुष्ट होना बताया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनाक 15.04.2021 दिये गये नोटिस में एंव दिनाक 13.12.2021 को दिये गये नोटिस में रिकार्डानुसार भिन्नता है जिससे प्रवर्तन निरीक्षक की बदयान्ती जाहिर है। रिकार्डानुसार अप्रार्थी के गोदाम पर गैहू, चीनी, दाल मौजुद थी लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा अपने मनमाने तरीके से कार्यवाही कर फर्द जप्ती बनाई गयी है। मौके पर रार्शन डीलर बशीरी को गैहू की कोई सुपुर्दगी नही दी गयी थी, स्टॉक में उपस्थित माल को माह दिसम्बर 2020 में अप्रार्थी के द्वारा उपभोक्ताओ को वितरित किया गया था। अतः प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस के भार से मुक्त किया जावे।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि दिनाक 19.12.2021 को शिकायत की जॉच करने हेतु राधेश्याम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम बेरला पंचायत चावण्डीकला तहसील तिजारा की दुकान पर वास्ते जॉच हेतु पहुचा वक्त जॉच मौके पर राधेश्याम उचित मुल्य दुकानदार उपस्थित मिला वक्त मौका जॉच गोदाम का भौतिक सत्यापन करने पर पाया कि 249 कटटे प्रति कटटा 50 किलो कुल 12450 किलोग्राम गैहू पाया गया जबकि पॉस मशीन में 11638.40 किलोग्राम गैहू दर्शाया गया, अर्थात 811.6 किलोग्राम गैहू अधिक पाया गया। इसी प्रकार गोदाम का सत्यापन करने पर गौदाम में आंगनबाडी की चना दाल 600 किलोग्राम तथा आंगनबाडी चावल 200 किलोग्राम मौके पर पायी गयी। जिसके सम्बध में उचित मूल्य दुकानदार से जानकारी चॉही गयी तो दुकानदार ने कोई सतुष्टीपूर्ण जवाब व

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

इससे जाहिर है, कि राधेश्याम उचित मुल्य दुकानदार पॉस कोड 31063 ग्राम बेरला पंचायत चावण्डीकला 1/2 भाग तहसील तिजारा द्वारा उपभोक्ताओ को उचित मात्रा में गेहू व आंगनबाडी को चना दाल, चावल नही दिया गया है, जो कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंधन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एंव वकुलाय की बहस का मनन किया। उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता राशिद खान पुत्र जानू खान /समस्त ग्रामवासीयान बेरला तहसील तिजारा द्वारा एक शिकायत उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चावण्डीकला पंचायत समिति तिजारा रार्शन सामग्री वितरण में अनियमिताये एंव गलत व्यवहार करने बाबत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर को पेश की गयी। जिस पर खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग राज0 जयपुर के आदेश क्रंमाक एफ.77(01)खा.वि./सत./अलवर/2019 दिनाक 18.09.2019 के द्वारा जिला रसद अधिकारी को जॉच कर कार्यवाही किये जाने आदेर्शित किया गया। पद्वत निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी अलवर ने जरिये पत्राक 32167 दिनाक 18.12.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा को निर्देशित किया गया। दिनाक 19.12.2021 को शिकायत की जॉच करने हेतु राधेश्याम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम बेरला पंचायत चावण्डीकला तहसील तिजारा की दुकान पर वास्ते जॉच हेतु पहुचे गोदाम का भौतिक सत्यापन करने पर पाया कि 249 कटटे प्रति कटटा 50 किलो कुल 12450 किलोग्राम गैहू पाया गया जबकि पॉस मशीन में 11638.40 किलोग्राम गैहू दर्शाया गया, अर्थात 811.6 किलोग्राम गैहू अधिक पाया गया। इसी प्रकार गोदाम का सत्यापन करने पर गौदाम में आंगनबाडी की चना दाल 600 किलोग्राम तथा आंगनबाडी चावल 200 किलोग्राम मौके पर पायी गयी। जिसके सम्बध में उचित मूल्य दुकानदार से जानकारी चॉही गयी तो दुकानदार ने कोई सतुष्टीपूर्ण जवाब व अधिक गैहू, चना दाल व चावल के संम्बध में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनाक 19.12.2020 को की गयी कार्यवाही फर्द जप्ती एवं सुपुंदगी के अनुसार 811.6 किलोग्राम गैहू, आंगनवाडी की चला दाल 600 किलो, आंगनबाडी चावल 200 किलोग्राम सामग्री को जप्त कर सुरक्षा की द्रष्टि से उचित मूल्य दुकानदार श्रीमती बशीरी पॉस कोड 24939 को सुपुदर्गी में देना अंकित किया गया है, किन्तु सुपुदगार उचित मूल्य दुकानदार श्रीमती वशीरी पॉस कोड 24939 के हस्ताक्षर मौजुद नही है, बल्कि किसी अन्य के है, फर्द मौका रिपोर्ट में 34 किलोग्राम चीनी/265 किलोग्राम एन.एफ.एस.ए दाल कम पाये जाने का भी उल्लेख अंकित किया गया है, किन्तु प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किये गये 6 ए के प्रार्थना पत्र में इस वाबत कोई उल्लेख अंकित नही किया गया है, तथा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही में कांट-छांट की गयी है। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी कार्यवाही में लिखा है, उपभोक्ताओ के बयान लिये गये जिनमें रार्शन डीलर द्वारा समय पर एवं निर्धारित मात्रा मे रार्शन सामग्री वितरण करना पाया गया उपभोक्ता डीलर

जिला मजिस्ट्रेट
स्थल-तिजारा

की वितरण व्यवस्था से सन्तुष्ट होना पाया गया। यहा यह भी उल्लेखनिय है, कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनाक 19.12.2020 को की गयी कार्यवाही के बावत दो पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए के तहत क्रमश दिनाक 13.12.2021 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी को एंव दिनाक 15.04.2021 को न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर को पेश किये गये है। जो उचित नही है, एक ही विषयवस्तु पर पृथक–पृथक प्रार्थना पेश करने का कोई प्रावधान नही है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उक्त प्रकरण में की गयी कार्यवाही न्यायोचित नही है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (1) खारिज किया जाता है, निर्णय प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी खैरथंल–तिजारा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अर्तिका शुक्ला)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा
खैरथल–तिजारा (राज0)